

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- जविप्रा/विशे.(सं.वि.)/2019/डी- 6।

दिनांक :- 23-9-19

-: कार्यालय आदेश :-

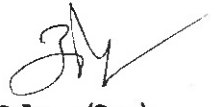
नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.17(10)UDH/II/2019 Jaipur Dated - 16.09.2019 द्वारा Rajasthan Urban Improvement Act., 1959(Act. No. 35 of 1959) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में संशोधन किये गये हैं। उक्त अधिसूचना के द्वारा किये गये संशोधनों को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

यह आदेश आयुक्त, जविप्रा से पुष्ट है।

-स/-
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- 5 निदेशक (वित्त/विधि/अभियांत्रिकी-प्रथम व द्वितीय/आयोजना/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर।
- 7 संयुक्त आयुक्त(सिस्टम मैनेजमेन्ट/संसाधन एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
- 8 विशेषाधिकारी(संसाधन विकास), जविप्रा, जयपुर।
- 9 अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
- 10 जोन उपायुक्त समस्त, जविप्रा, जयपुर।
- 11 सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को जविप्रा वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
- 12 उप रजिस्ट्रार(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
- 13 सलाहकार(जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।
- 14 रक्षित पत्रावली


निदेशक(वित्त)
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

फोन : 0141- 2569696(Ext. 7224)

Email ID :- tarajindal.jda@rajasthan.gov.in